प्रारूप–30

कार्यालय – जिलाधिकारी,गढवाल

जनपद–पौडी।

पत्रांक /

दिनांक – 03/05/2019

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारस्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त:–

दिनांक 03/05/2019 को जिलाधिकारी,पौडी की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद–पौडी के विकास खण्ड नैंनीडांडा के अन्तर्गत ROW Permission For laying Fibre Cable परियोजना का नाम – जनपद पौडी के गढवाल वन प्रभाग में (धुमाकोट–दीवा) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0309 मार्ग (हल्दूखाल–धुमाकोट)25.6 किमी0, (धुमाकोट–रिखणीखाल)42.6 किमी0,जिसकी कुल लम्बाई 68.2 किमी0 एवं 0.453 है0 के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन(संरक्षण)अधिनियम,1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने को प्रत्यावर्तित /लीज पर दिये जाने सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया,तथा उप जिलाधिकारी धुमाकोट की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.061 है0 आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के दीवा रेंज के अन्तर्गत आती है,पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है। उप जिलाधिकारी,धुमाकोट,पौडी गढवाल की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

समाज कल्याण अधिकारी पौडी	प्रभागीय वनाधिकारी गढवाल वन प्रभाग–पौडी	जिलाधिकारी गढवाल

पृ0सं0 ..../................................../दिनांक–

प्रतिलिपि – -- को

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,

गढवाल

<u>कार्यालय – उप जिलाधिकारी, पौड़ी</u>

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र

उपखण्ड़ स्तरीय समिति, पौड़ी

उत्तराखण्ड जनपद पौड़ी के गढ़वाल वन प्रभाग के विकास खण्ड़ पौड़ी के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable:-** जनपद पौड़ी के गढ़वाल वन प्रभाग में (धुमाकोट–दीवा) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 309 मार्ग (हल्दूखाल–धुमाकोट) 25.6 कि0मी0, (धुमाकोट–रिखिणीखाल) 42.6 कि0मी0, जिसकी कुल लम्बाई 68.2 कि0मी0 एवं 0.453 है0 के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय समिति,(तहसील –) की दिनांक 23/4/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री सौरभ असवाल उप जिलाधिकारी (अध्यक्ष)........................
2. श्री आर. के. ....उप प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)........................
3. श्री ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य)........................
4. श्री R प्रमुख ....बी0डी0सी0 क्षेत्र (सदस्य)........................

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पौड़ी वन प्रभाग (धुमाकोट–दीवा) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 309 मार्ग (हल्दूखाल–धुमाकोट) 25.6 कि0मी0, (धुमाकोट–रिखिणीखाल) 42.6 कि0मी0, जिसकी कुल लम्बाई 68.2 कि0मी0 एवं 0.453 है0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 द्वितीय तल एन०सी०आर० प्लाजा, हाथी बड़कला, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसममति से उपखण्ड़ पौड़ी वन प्रभाग के अन्तर्गत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील............ / जनपद–............

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, पौड़ी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति

37